



राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

माधव विलास पैलेस, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर-302002

NATIONAL INSTITUTE OF AYURVEDA

(Ministry of AYUSH, Govt. of India)

Madhav Vilas Palace, Jorawar Singh Gate, Amer Road, Jaipur-302002

Tel. 2635744 (EPABX) Fax : 2635709

निविदा-विज्ञप्ति

संस्थान से सम्बन्धित इकाईयों के लिये निम्नलिखित सामान/कार्यों हेतु दिनांक 22-01-2019 को सायं 5.00 बजे तक मोहर बन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक आइटम के निविदा फार्म निर्धारित शुल्क नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराकर संस्थान कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाओं को क्रय समिति एवं फर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 23-01-2019 को मध्याह्न 12.00 बजे खोली जावेगी। निविदा फार्म एवं स्पेशिफिकेशन संस्थान की वेबसाइट www.nia.nic.in से भी डाउनलोड कर टेण्डर फार्म की कीमत रूपये 500/- के साथ एवं धरोहर राशि के (अलग-अलग) डीडी निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।

S.No.	Name of Item	Approx. Amount	EMD (In Rs.)	Tender cost in cash/ Download
1-	Contract of Bus/Mini Bus/ Swfit Dezire, Verito, Itios, Innova,Indigo etc.) AC/Non AC	5,00,000/-	10,000/-	500/-
2-	A.M.C. of R.O. Plant and R.O. Water Purifiar	4,00,000/-	8,000/-	500/-
3-	Contract of Canteen	2,00,000/-	4,000/-	500/-

दिनांक : 1-1-2019

प्रो० संजीव शर्मा
निदेशक

Tender Cost :

By Cash/Download Rs. 500/-

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

माधव विलास पैलस, आमेर रोड, जयपुर- 302002

निविदा प्रपत्र

फर्म का नाम.....

पता.....

.....

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है
उसका नाम : **Tender No. – 1 Contract of Bus/Mini Bus/ Swfit Desire,
Innova Crista, Etios, Innova,Altis, Tampo etc. A.C./Non A.C.**
2. निविदादाता का नाम व पता.....
.....
3. प्रेषित अधिकारी / कार्यालय का नाम : निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर
.....
4. निविदा शुल्क केरूपये नकद रसीद संख्या/डी.डी.नं..... दिनांक ...
..... द्वारा जमा करा दिये गये है।
5. आयकर बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है /नही है।
6. धरोहर राशि.....रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बरदिनांकनगद
रसीद संख्या.....दिनांकके द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
में जमा करा दिये गये है।
7. मै/ हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते है और इससे हम बाध्य रहेगे।

स्थान:

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर
(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

माधव विलास पैलस, आमेर रोड, जयपुर- 302002

टेण्डर नम्बर - 1

निविदा-शर्तें

1. इस संस्थान को चल चिकित्सा शिविर कार्य के लिये बडी बस/ मिनी बस एवं अन्य कार्यों के लिये स्विफ्ट डिजायर, इटियोस, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा, टोयटा एलटिस, टैम्पू इत्यादि ए.सी./नॉन ए.सी. गाडियां किराये पर कॉन्ट्रैक्ट हेतु दिनांक 22.01.2019 को 5.00 बजे तक मोहरबन्द लिफाफे में निविदाये आंमन्त्रित की जाती है इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रो पर कोई विचार नही किया जायेगा। निविदा की अनुमानित लागत 5,00,000/-रूपये होगी । निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रूपये-10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के (पक्ष) नाम में जमा करवानी होगी, धरोहर राशि जमा नही करने के अभाव में निविदा प्रपत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्राप्त निविदाये दिनांक 23.01.2019 को मध्याह्न 12.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी ।
2. निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र रूपये 500/- नकद जमा कराने पर निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के लेखा शाखा (कैश) से 22.01.2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। डाउनलोड टेण्डर फार्म की राशि रूपये 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग-अलग "निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर" के नाम प्रस्तुत करना होगा अन्यथा टेण्डर फार्म स्वीकार नही किया जावेगा।
3. निविदा स्वीकृत होने पर सिक्क्यूरिटी राशि के रूप में बडी बस/मिनी बस के लिये रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र) एवं अन्य वाहनों के लिये रूपये:-10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) संस्थान कोष में नगद जमा करवानी होगी । निविदा स्वीकृत होने पर धरोहर राशि रूपये 10,000/- वापस लोटा दी जायेगी ।
4. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ पेन कार्ड की छाया प्रति, आयकर / बिक्रीकर एवं जी.एस.टी. चुकता प्रमाण पत्र एवं फर्म/ एजेन्सी का पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी । अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
5. वाहन से सम्बन्धित पार्किंग, रोड टेक्स, टोल टेक्स, एवं स्थाई/अस्थाई टी.पी. शुल्क एवं अन्य समस्त प्रकार के देय कर आदि वाहन स्वामी/निविदादाता का होगा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नही होगा ।

6. मीनी बस आवश्यकतानुसार सीटर ही उपयोग में ली जायेगी शिविर प्रभारी द्वारा इसकी जांच की जायेगी इसी की दर निविदादाता को अंकित करनी होगी इसके उपलब्ध नही होने या कम की स्थिति में यदि निविदादाता कोई अन्य वाहन स्वीकृत सीटर से अधिक उपलब्ध करवाता है तो संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज देय नही होगा। तथा स्वीकृत सीटर से कम सीटर उपलब्ध करवाने पर सीटर के हिसाब से नियमानुसार दर पर बिल राशि में से काटकर भुगतान किया जायेगा।
7. निविदादाता द्वारा अपनी दरे शब्दों में तथा अंको में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिये । इसमें किसी प्रकार की कांट छंट स्वीकार्य नही होगी । शब्दो तथा अंको में दी गई दरों में अन्तर होने पर शब्दो में अंकित दरे मान्य हागी ।
8. वाहन सुव्यवस्थित एवं उसकी सीटे आरामदायक होनी चाहिये ।
9. यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यक्रम स्थगित / निरस्त किया जाता है तो संस्थान द्वारा वास्तविक किलोमीटर (जयपुर मुख्यालय से संस्थान एवं वापस मुख्यालय तक) का ही व्यय देय होगा ।
10. दिाविर/यात्रा पर प्रस्थान एवं वापसी लौटने तक का प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के द्वारा की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में बिल का भुगतान करना संभव नही होगा ।
11. शिविर /यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्ववाहन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज अर्थात वाहन चालक का लाईसेन्स, R.C., इंश्योरेन्स, वाहन फिटनेश, परमिट, प्रदुषण सर्टिफिकेट इत्यादि पूर्ण होने चाहिये इन अपेक्षित दस्तावेजो की छाया प्रति शिविर समन्वयक प्रभारी अधिकारी एवं अन्य प्रभारी अधिकारी रा.आ.सं. जयपुर को जमा करवानी होगी। यदि यात्रा के दौरान कोई कठिनाई/परेशानी उत्पन्न होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी/ निविदादाता की होगी ।
12. वाहन चालक / परिचालक व्यवहारिक अनुशासित होना चाहिये यदि चालक / परिचालक के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका समस्त उतरदायित्व निविदादाता का होगा ।
13. संस्थान द्वारा आवश्यकता पडने पर वाहन की मांग करने पर निविदादाता द्वारा वाहन उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में संस्थान द्वारा अन्य वाहन ले जाने पर उसकी अन्तर राशि एवं संस्थान द्वारा निर्धारित पैनल्टी राशि निविदादाता से वसूल की जायेगी।
14. निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन यदि रास्ते में कही खराब हो जाता है तो उक्त फर्म द्वारा दुसरा वाहन तुरन्त उपलब्ध करवाया जायेगा। दूसरा वाहन उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में पैनल्टी व संस्थान द्वारा दुसरे वाहन से गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर व्यय किया गया कुल खर्चा निविदादाता फर्म से वसुल किया जायेगा।

15. फर्म द्वारा शिविरों के आयोजन पर भेजे जाने वाले A.C. वाहन में A.C. की परिभाषा स्पष्ट दर्शायी जानी चाहिये अर्थात् गर्मी व वर्षा के मौसम में ठण्डी हवा Aircool तथा ठण्डे मौसम में गर्म हवा Warmer होना चाहिये।
16. वाहन संस्थान से रवाना होने के बाद एक दिन में न्यूनतम 250 किलोमीटर प्रति दिनांक तक का चार्ज देय होगा ।
17. वाहन संस्थान से रवाना होकर जिले तक पहुंचने तक यदि सुबह के 4-5 बजे तक पहुंचता है तो उस दिन का रात्रि शुल्क देय नहीं होगा तथा वापसी में जिले से संस्थान तक यदि सुबह के 4-5 बजे तक पहुंचती है तो उस दिन का रात्रि शुल्क देय नहीं होगा।
18. निविदादाता फर्म की गत दो वर्षों की बेलेन्स शीट में प्रतिवर्ष टर्न-ओवर 75 लाख होना चाहिए ।
19. निविदादाता फर्म के किन्ही पाँच सरकारी कार्यालयों में दो वर्ष का गाडीयाँ चलाने का कान्ट्रेक्ट होना आवश्यक होगा । निविदादाता के नाम/फर्म के नाम पर वर्ष 2016 के बाद 5 बस एवं 10 छोटी गाडी होना आवश्यक होगा ।
20. निविदादाता फर्म को कान्ट्रेक्ट दिये जाने पर रात्रि विश्राम के चार्जेज की गणना रात्रि 11.00 बजे पश्चात से की जावेगी ।
21. यात्रा के दौरान वाहन में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर मरम्मत आदि का व्यय वाहन स्वामी / निविदादाता का होगा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
22. वाहनों के कुल यात्रा किलोमीटर एवं मीनीमम किलोमीटर जो भी अधिक होगा भुगतान योग्य होगा ।
23. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से 1 वर्ष के लिये मान्य होगी । यह अवधि अनुबन्ध के पूर्ण होने के पश्चात भी आवश्यक होने पर एवं संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर अधिकतम 1 वर्ष के लिये (आपसी सहमति द्वारा) पुरानी दरों पर बढ़ाई जा सकती है, जो कि निविदादाता को मान्य होगा । जिसके लिये 500/- रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा ।
24. फर्म द्वारा सन्तोषप्रद कार्य एवं सप्लाई नहीं करने पर टेण्डर (निविदा) निरस्त किया जा सकता है।
25. सम्बन्धित फर्म को शपथ-पत्र देना होगा कि फर्म को किसी भी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार एवं इसकी स्वायत्त संस्था द्वारा अयोग्य (Black Listed) घोषित नहीं किया गया है।
26. निविदादाता को नियमानुसार GST/TAX/अन्य सरकारी कर अतिरिक्त रूप से देय होगा।

27. निविदाओं को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को होगा ।
28. सभी प्रकार के मामलो/ वादो के लिये न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
29. निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम रूप से सभी को मान्य होगा ।

उप निदेशक (प्रशासन)

निविदा प्रपत्र

बड़े वाहन (छोटी-बड़ी बस)

सीटर	250 कि.मी. राजस्थान हेतु		250 कि.मी. राजस्थान से बाहर		जयपुर लोकल 12 घण्टे के 100 कि.मी.	
	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.
12						
21						
27						
45						
52						

रात्रि विश्राम

सीटर	राजस्थान	राजस्थान से बाहर
12		
21		
27		
45		
52		

छोटे वाहन/टैक्सी-कार

सीटर	250 कि.मी. राजस्थान हेतु		250 कि.मी. राजस्थान से बाहर		जयपुर लोकल 12 घण्टे के 100 कि.मी.	
	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.
स्विफ्ट डिजायर						
इटियोस						
इनोवा क्रिस्टा						
इनोवा						
टोयटा एलटिस						
टैम्पू ट्रैवलर (12 सीटर)						
अन्य						

1/2/1

रात्रि विश्राम

सीटर	राजस्थान	राजस्थान से बाहर
स्विफ्ट डिजायर		
इटियोस		
इनोवा क्रिस्टा		
इनोवा		
टोयटा एलटिस		
टैम्पू ट्रेवलर (12 सीटर)		
अन्य		

1. Local Rates Applicable will be package to package.
2. GST Extra charge if any.
3. All Rates included parking Toll Tax, State Tax etc.

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम.....

.....

.....

(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002

फर्म का नाम
.....
.....

निविदा प्रपत्र

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है
उसका नाम : **Tender No. 2 - A.M.C. of R.O. Plant and R.O. Water Purifiar**
2. निविदादाता का पूरा नाम :
3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम : निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4. निविदा शुल्क राशि रूपये रसीद नं./डी.डी. नं.दिनांकसंलग्न किया गया है ।
5. आयकर व बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है ।
6. धरोहर राशि रूपये रसीद नं./डी.डी. नं.दिनांक
निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बनाकर संलग्न कर दिया गया है ।
7. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते हैं और इससे बाध्य रहेंगे ।

स्थान:

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर
(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002
टेण्डर नम्बर-2

निविदा शर्तें

1. "A.M.C. of R.O. Plant and R.O. Water Purifier" हेतु मोहरबन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं निविदा की अनुमानित लागत 4,00,000/- रूपये है । धरोहर राशि 8,000/- रूपये जमा करवाना अनिवार्य है। धरोहर राशि निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बने बैंक ड्राफ्ट या नकद में ही ली जावेगी। इस राशि के चैक या F.D.R. मान्य नहीं होंगे। बिना धरोहर राशि/अपर्याप्त धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर प्रारम्भिक रूप से ही कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र रूपये 500/- नकद जमा कराने पर निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर की लेखा शाखा (कैश) से 22.01.2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । डाउनलोड टेण्डर फार्म की राशि रूपये 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के साथ (अलग-अलग) डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम प्रस्तुत करना होगा अन्यथा टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
उक्त निविदा दिनांक 22.01.2019 को सायंकाल 5.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 23.01.2019 को मध्याह्न 12.00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
3. केवल वास्तविक निर्माता अथवा उसके अनुज्ञाधारी डीलर जिनके पास क्रयोपरान्त सर्विस एवं स्पेयर पार्ट्स बदलने की सुविधा हो, निविदा भरें। एतदर्थ उन्हें वास्तविक निर्माता होने अथवा अनुज्ञाधारी डीलर होने का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।
4. संस्थान की वेबसाइट पर डाले गये फार्म एवं संबंधित उपकरण के स्पेशिफिकेशन को डाउनलोड कर दरें अंकित करें। दरें संस्थान द्वारा संलग्न निविदा प्रपत्र में ही मान्य होंगी।
5. निविदा बालपेन से भरनी होगी तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने होंगे । कांट-छॉट या ऊपर लेखन को सही रूप से अंको एवं शब्दों दोनों में लिखकर निविदादाता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। डेसीमल में प्राप्त दरें मान्य नहीं होंगी ।
6. निविदा खुलने के बाद निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें एवं शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो संस्थान को उनकी अमानत राशि जब्त करने का अधिकार होगा । निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में संस्थान को हुई हानि की पूर्ति करने हेतु संस्थान को अधिकार होगा कि वह निविदादाता की धरोहर राशि व अमानत राशि को जब्त कर लें और अगर उससे भी हानि की पूर्ति न हो तो निविदादाता की चल और अचल सम्पत्ति से शेष घाटे की पूर्ति करें

7. कार्य/सामान की दरें शब्दों में तथा अंको में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई कांट-छांट स्वीकार्य नहीं होगी । शब्दों तथा अंको में दरो में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दरों को मान्यता दी जावेगी।
8. सामान की दरें स्पष्ट रूप से माप, तौल, संख्या, मार्का एवं मैक के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी स्टाम्प के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी । टेक्स एवं ड्यूटी के अलग से मांगने की दशा में टेक्स व ड्यूटी की दरें भी स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक लागत का पता चल सकें ।
9. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति, आयकर एवं बिक्रीकर/GST चुकता प्रमाण पत्र साथ लगाने होंगे । जिसके अभाव में निविदा अमान्य की जा सकती है।
10. कार्य/सामान की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको दोनों में अंकित होनी चाहिए। शब्दों तथा अंको में दरो में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दरों को मान्यता दी जावेगी । सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर ही माना जावेगा ।
11. फर्म को ए.एम.सी. कार्य अपने तकनीकी कर्मचारियों के द्वारा संस्थान परिसर में करना होगा विशेष परिस्थितिवश में यदि मशीन यहाँ ठीक न हो सके तो स्वीकृति बाद ही मशीन/उपकरण बाहर से ठीक कराई जा सकेगी ।
12. फर्म को ए.एम.सी. के दौरान जो पार्ट्स लगाये जायेंगे वे जिस कम्पनी की मशीन उत्तम क्वालिटी आई एस आई के होने चाहिये ।
13. फर्म को एक प्रतिनिधि को A.M.C. of R.O. Plant and R.O. Water Purifier की देखरेख हेतु नियमित रूप से प्रतिदिन संस्थान में आना होगा ।
14. फर्म को 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पैपर पर एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करना होगा तथा टेण्डर की लागत राशि की 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि संस्थान कोष में जमा करानी होगी।
15. ए एम सी का भुगतान त्रैमासिक सन्तोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।
16. सिस्टम/मशीनरी/इक्वूपमेंट आदि की साफ सफाई आदि नियमित रूप से करनी होगी ।
17. दरें मय पार्ट्स टैक्स का पूरा विवरण सहित देनी होगी ।
18. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से 1 वर्ष के लिये मान्य होगी । यह अवधि अनुबन्ध के पूर्ण होने के पश्चात् भी आवश्यक होने पर एवं संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर अधिकतम 1 वर्ष के लिये (आपसी सहमति द्वारा) पुरानी दरों पर बढ़ाई जा सकती है।
19. टेण्डरदाता को फर्म की टेण्डर अवधि पूर्ण होने पर सभी मशीनें चालू हालात में संभलानी होगी । इस हेतु टेण्डरदाता एवं प्रभारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों की रिपोर्ट संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी ।
20. पुराने एवं अनुपयोगी सामान संस्थान में जमा कराना होगा ।
21. फर्म द्वारा सन्तोषप्रद कार्य एवं सप्लाई नहीं करने पर टेण्डर (निविदा) निरस्त किया जा सकता है।

22. सम्बन्धित फर्म को शपथ-पत्र देना होगा कि फर्म को किसी भी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार एवं इसकी स्वायत्त संस्था द्वारा अयोग्य (Black Listed) घोषित नहीं किया गया है।
23. फर्म के प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार टी.डी.एस. राशि काटी जायेगी, जिसके लिए फर्म को निविदा फार्म के साथ पेन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी ।
24. निविदादाता को नियमानुसार GST/TAX/अन्य सरकारी कर अतिरिक्त रूप से देय होगा। अतः दरों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से GST/TAX/अन्य सरकारी कर की दरें भी अंकित करना आवश्यक होगी।
25. सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर ही माना जावेगा ।
26. निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम रूप से सभी को मान्य होगा ।

उपनिदेशक (प्रशासन)

Tender No. - 2

Schedule –I

Rates to be filled by the Bidder A.M.C. of R.O. Plant and R.O. Water Purifiar

S.No.	Item	Qty.	Proposed Rate per annum With Parts	Proposed Rate per annum Without Parts	GST TAX
1.	R.O. Plant (500 Ltr. Capacity)	4			
2.	R.O. Water Purifiar				
	a. 50 Ltr. Capacity	9			
	b. 25 Ltr. Capacity	1			
	c. 15 Ltr. Capacity	1			
	d. 12 Ltr. Capacity	1			

Note : Enclosed Price list of parts if proposed rate per annum without parts.

Date :

**Signature of the tenderer
along with stamp the firm**

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002

फर्म का नाम

.....

.....

निविदा प्रपत्र

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है

उसका नाम : **Tender No. 3 – Contract of Canteen**

2. निविदादाता का पूरा नाम :

3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम : निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

4. निविदा शुल्क राशि रूपये रसीद नं./डी.डी. नं.दिनांकसंलग्न किया गया है ।

5. आयकर व बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है ।

6. धरोहर राशि रूपये रसीद नं./डी.डी. नं.दिनांक निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बनाकर संलग्न कर दिया गया है ।

7. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते हैं और इससे बाध्य रहेंगे ।

स्थान:

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर
(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

Tender No. 3 – Contract of Canteen

संस्थान में केन्टीन संचालन हेतु अन्य शर्तें

1. संस्थान केन्टीन किराये पर लेने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है निविदा की अनुमानित लागत 2,00,000/- रूपये है । धरोहर राशि 4,000/-रूपये जमा करवाना अनिवार्य है। धरोहर राशि निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बने बैंक ड्राफ्ट या नकद में ही ली जावेगी। इस राशि के चैक या F.D.R. मान्य नहीं होंगे। बिना धरोहर राशि/अपर्याप्त धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर प्रारम्भिक रूप से ही कोई विचार नहीं किया जावेगा।
उक्त निविदा दिनांक 22.01.2019 को सायंकाल 5.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 23.01.2019 को मध्याह्न 12.00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
2. निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र रूपये 500/- नकद जमा कराने पर निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर की लेखा शाखा (कैश) से 22.01.2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । डाउनलोड टेण्डर फार्म की राशि रूपये 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के साथ (अलग-अलग) डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम प्रस्तुत करना होगा अन्यथा टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
3. दरें संस्थान द्वारा संलग्न निविदा प्रपत्र में ही मान्य होगी ।
4. निविदा बालपेन से भरनी होगी तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने होंगे। कांट-छॉट या ऊपर लेखन को सही रूप से अंको एवं शब्दों दोनों में लिखकर निविदादाता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए ।
5. गर्म पेय पदार्थ, भोजन व अन्य खाद्य सामग्री निम्नांकित दरों पर आपूर्ति करनी होगी :-

क्र.सं.	नाम सामग्री	निर्धारित दर (रूपये में)
1	चाय प्रति प्याला (150 मि.ली. साधारण)	5/-
2	चाय प्रति प्याला स्पेशल (150 मि.ली.)	6/-
3	काफी (125 मि.ली.)	8/-
खाद्य पदार्थ शुद्ध मूंगफली/सरसों के तेल में		
4	समोसा (70 ग्राम आलू मसाला) कोप्ता, मिर्चबडा आदि	10/-
5	कचोरी (70 ग्राम दाल मसाला)	10/-
6	इडली सांभर - 2नग	20/-
7	दाल, सेव, मोगर, पकोडी (100 ग्राम)	15/-
अन्य खाद्य पदार्थ (शुद्ध वनस्पति घी में बने हुए)		
8	मावे की मिठाई प्रति किलो	250/-
9	बिस्कुट (सभी तरह)	कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर
10	शीतल पेय	कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर

11	दही की लस्सी 200 ग्राम दही	20/-
12	सरस की लस्सी/छाछ	जयपुर डेयरी की निर्धारित दरो पर
13	भोजन थाली (चपाती-4, चावल 1 कटोरी, दाल, सब्जी, रायता/दही/छाछ)	50/-
14	स्पेशल थाली (चपाती-4, चावल 1 कटोरी, दाल, सब्जी, रायता/दही/छाछ + एक मिठाई, अचार, पापड़)	70/-
15	बेसन/मेदा मिठाई प्रति किलो	200/-
16	मिनरल वाटर (Bollted Drinking Water ISI/FDO Made)	कम्पनी द्वारा निर्धारित दर

6. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अन्तर्गत सभी प्रकार के लाईसेंस लेने व उक्त अधिनियम अन्तर्गत समस्त प्रावधानों की पालना का दायित्व ठेकेदार का होगा ।
7. पूरे समय केन्टीन क्षेत्र को साफ-सुथरा व स्वच्छ एवं स्वास्थ्यजनक रखने का दायित्व ठेकेदार का होगा। अल्पाहार गृह में काम आने वाले समस्त सामान जैसे - चाय, काफी, शक्कर, शुद्ध खाद्य तेल एवं ईंधन आदि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी । इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जावेगी । केन्टीन में रखी जाने वाली सामग्री श्रेष्ठ क्वालिटी की होगी। सामग्री का निरीक्षण निदेशक महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अथवा निदेशक महोदय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि क्वालिटी में कोई कमी पाई गई तो केन्टीन में उपलब्ध सामग्री को नष्ट करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है ।
8. ठेकेदार को हमेशा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ताजा सामान रखना होगा तथा उपलब्ध सामान को ढककर रखना होगा। यदि बासी सामान पाया गया तो उस सामान को संस्थान द्वारा नष्ट कर दिया जावेगा, जिसके लिए संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जावेगी। ठेकेदार को पर्याप्त मात्रा में साफ व सुन्दर क्राकरी रखनी होगी ।
9. ठेकेदार को कार्य दिवसों में केन्टीन को प्रातः 9.00 से सायं 7.00 बजे तक चालू रखना होगा एवं विशेष परिस्थितियों में अगर निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान निर्देशित करेंगे तो अवकाश के दिन भी केन्टीन को खोलना होगा। किसी भी कार्य दिवस पर केन्टीन संचालित नहीं किये जाने पर निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को विवेकाधिकार पर शास्ति आरोपित करने का अधिकार होगा ।
10. ठेकेदार को जयपुर डेयरी (जयपुर जिला सहकारी उत्पादक संघ जयपुर) के डेयरी उत्पाद भी केन्टीन में रखने होंगे।
11. केन्टीन का किराया दो माह का अग्रिम जमा कराना होगा तथा तत्पश्चात किराया प्रतिमाह अग्रिम देना होगा। किराये की दर स्वयं ठेकेदार को देनी होगी एवं अधिक किराया देने वाले निविदादाता को वरीयता दी जायेगी। जल निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा विद्युत व्यय का भुगतान सब मीटर की रिडिंग के आधार पर करना होगा ।

12. ठेकेदार को ठेका छूटने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति के तौर पर देय वार्षिक किराये की राशि का 5 प्रतिशत राशि संस्थान कार्यालय में जमा करानी होगी। यह राशि ठेके की अवधि समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी। यदि ठेके की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो संस्थान को आर्थिक दण्ड लगाने को अधिकारी होगा व दण्ड की राशि प्रतिभूति राशि में से वसूल की जावेगी।
13. सेवाएं असंतोषजनक पाये जाने पर संस्थान को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को लिखित रूप में एक माह का नोटिस देने के पश्चात् ठेका निरस्त कर दिया जावेगा । प्रथमतः अनुबंध की अवधि एक वर्ष तक रहेगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में विभाग द्वारा पूर्व शर्तों पर अवधि एक वर्ष और आगे बढ़ायी जा सकती है।
14. ठेकेदार को संस्थान द्वारा संलग्न निर्धारित दरों पर सामग्री सप्लाई करनी होगी जिस वस्तु की दर नहीं दी गई हो तो उसके संबंध में ठेकेदार व निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अथवा निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी दोनों आपस में वार्तालाप करके दरें निर्धारित कर सकते हैं जो दोनों पक्षों को मान्य होगी ।
15. संस्थान के विद्युत उपकरण में कोई टूट-फूट होगी तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा हानि की वसूली ठेकेदार से की जायेगी ।
16. अनुमोदित दरें ठेकेदार द्वारा एक बोर्ड पर लिखकर केन्टीन में लगानी होगी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुमोदित दरों से अधिक चार्ज करने की शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा तत्काल ठेका निरस्त किया जा सकता है ।
17. अगर ठेकेदार द्वारा कोई सामान उधार में दिया जाता है तो उधार की वसूली का दायित्व ठेकेदार को होगा। उधार की राशि वसूली की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी ।
18. ठेकेदार को संस्थान के प्रत्येक कमरे में पेय पदार्थ/अल्पाहार सामग्री की सप्लाई करने की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।
19. ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मचारी रखने होंगे तथा कोई बालश्रमिक नहीं रखा जावेगा। श्रम अधिनियम तथा सुसंगत अन्य अधिनियमों की पालना का दायित्व ठेकेदार का होगा ।
20. ठेका स्वीकृत होने के दिन से एक सप्ताह के भीतर/निर्धारित दिनांक को केन्टीन चालू करना होगा तथा केन्टीन स्वच्छ एवं कर्मचारी स्वच्छ वर्दी में रखने होंगे ।
21. ठेकेदार केन्टीन को अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा तथा अवधि से पूर्व छोड़ने की स्थिति में संस्थान द्वारा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी ।
22. ठेकेदार को शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी जिसका निरीक्षण सप्ताह में एक बार निदेशक महोदय या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी को करवाना होगा ।
23. निविदादाता को केन्टीन का मासिक किराया प्रत्येक माह की 7 तारीख तक संस्थान में जमा करवाना होगा। अन्यथा निविदादाता का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा ।

24. निविदादाता को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का भी पालन करना होगा।
25. ठेके की व्यवस्था के लिए नियमानुसार 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 7 दिवस में अनुबन्ध पत्र ठेकेदार द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संस्थान में प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्ध पत्र देय शुल्क ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा ।
26. फर्म को शपथ-पत्र देना होगा कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग या कार्यालय द्वारा फर्म को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है
27. निविदादाता द्वारा निविदा भरने से पूर्व संस्थान के केन्टीन हेतु उपलब्ध स्थान का निरीक्षण कर लेवे। केन्टीन हेतु बाद में कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा ।
28. सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर ही माना जावेगा ।
29. कार्य/सामान की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको दोनों में अंकित होनी चाहिए। शब्दों तथा अंको में दरो में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दरों को मान्यता दी जावेगी।

उपनिदेशक (प्रशासन)

Tender No. – 3
Contract of Canteen

कॅटीन किराये की दर

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति माह
1	केन्टीन का मासिक किराया	

निविदादाता के हस्ताक्षर

(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)